दुर्ग्राह्य भारत-जापान परमाणु सौदा:
सौदा प्राप्ति हेतु मतभेद दूर करने की घड़ी

*डॉ. शमशाद ए. खान**

भारत-जापान परमाणु सहयोग दोनों सरकारों, कार्यनीतिक हलकों और मीडिया के बीच सर्वाधिक चर्चित मुद्दों में से एक रहा है। व्यापार, बुनियादी सुविधाओं, सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग की नई सफलताएं प्राप्त करने के बावजूद, असैनिक परमाणु सहयोग का मुद्दा अब तक एक अधूरा एजेंडा है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण यह अनिर्णित करार भारत में सत्ता परिवर्तन के परिणामस्वरूप नई सरकार के हाथों में आ गया है। यह मुद्दा उन मुद्दों में से एक है जिस पर दोनों देशों ने चार दौर की बातचीत की है, लेकिन परमाणु करार कर पाने में असमर्थ रहे हैं।

भावी भारत-जापान असैनिक परमाणु करार: धारणाओं में मतभेद

दोनों देशों के दृष्टिकोणों में एक बुनियादी असहमति है जो इस उद्देश्य को प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा बन गया है। जापान परमाणु सहयोग को विशुद्ध रूप से सामरिक दृष्टिकोण से देखता है जबकि भारत इसे आर्थिक दृष्टिकोण से देखता है और परमाणु सौदे पर जापान के अनुमोदन को नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जापानी कंपनियों को परमाणु रिएक्टरों के लिए अपेक्षित "रिएक्टर वाहिकाओं" सहित कतिपय प्रमुख घटकों पर एकाधिकार प्राप्त है। भारत ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक, अरेवा एसए और वेस्टिंगहाउस के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन कंपनियों में जापानी कंपनियों की प्रमुख हिस्सेदारी है। यदि जापान भारत के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता है, तो ये कंपनियां अपनी संस्थापन योजनाओं पर आगे नहीं बढ़ सकतीं।

तथापि, इस संबंध में कुछ प्रगति हुई थी। नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान तत्कालीन विदेश मंत्री, कात्सुया ओकाडा ने परमाणु करार पर बातचीत शुरू करने पर सहमति व्यक्त की थी। ओकाडा ने वर्ष 2011 में अपनी सरकारी यात्रा के दौरान कहा, "परमाणु सहयोग करार के लिए बातचीत प्रारंभ करने का निर्णय सबसे कठिन निर्णयों में से एक था जो मुझे विदेश मंत्री के रूप में करना पड़ा।" यह उल्लेखनीय है कि जापान को प्रतिबद्धता के स्तर से वार्ता के स्तर पर आने में लगभग पांच साल लग गए। इसने (जापान ने) वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह और तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिन्जो आबे द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त वक्तव्य में "भारत से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के उपयुक्त सुरक्षा उपायों के तहत रचनात्मक दृष्टिकोण के जरिए" असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग बढ़ाने का वायदा किया था। यह दिलचस्प है कि जापान में फिर से मामलों की बागडोर शिन्जो आबे के हाथों में आ गई है और वे "आबेनोमिक्स" के नाम से जाने जाने वाले जापान के आर्थिक पुनरूद्धार के अपने एजेंडे के भाग के रूप में विदेशों में परमाणु प्रौद्योगिकीयों सहित जापानी प्रौद्योगिकियों की बिक्री को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते रहे हैं।

यद्यपि जापानी सरकार ने तुर्की तथा वियतनाम के साथ तेजी से परमाणु सौदों को अंतिम रूप दिया है और यह सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात से परमाणु रिएक्टरों की बिक्री पर बातचीत करती रही है, लेकिन आबे की वापसी के बाद भी, यह भारत के साथ असैनिक परमाणु सहयोग समझौता को अंतिम रूप देने में असमर्थ रही है। इस संबंध में जापान की धीमी गति बताती है कि जापान के लिए अपने देश में सर्वसम्मति जुटाना और अपने परमाणु विरोधी वर्ग को मनाना कठिन हो रहा है, जो भारत सहित किसी भी देश, जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, से परमाणु सहयोग किए जाने पर राजी नहीं है।

भारत-जापान असैनिक परमाणु सहयोग: खींच-तान के कारक

दूसरी ओर, कतिपय व्यापार लॉबी की तरफ से टोकियो पर इस सौदे को अंतिम रूप देने का लगातार दबाव है, क्योंकि जापानी परमाणु उद्यम भारत में परमाणु ऊर्जा क्षमता पर नजर गड़ाए हुए हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अकेले भारतीय परमाणु ऊर्जा बाजार ही 150 अरब अमरीकी डॉलर की पेशकश कर सकता है। यदि जापान भारत में परमाणु रिएक्टरों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त संख्या में संविदाएं प्राप्त करने में सफल रहता है, तो यह आबेनॉमिक्स के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा।

व्यापार लॉबी से समर्थन मिलने के बावजूद एक विरोधी लॉबी भी सक्रिय है। एक भावी भारत-जापान परमाणु सौदे का विरोध परमाणु-विरोधी लॉबी के साथ-साथ जापानी मीडिया की ओर से होता रहा है, जिसने खुलेआम इस सौदे के बारे में चिंता व्यक्त की है। वर्ष 2011 में, नागासाकी पर परमाणु

बमबारी के स्मरणोत्सव के बाद जारी नागासाकी शांति घोषणा में भी भारत के साथ परमाणु सौदे का विरोध सामने आया। घरेलू निर्वाचन क्षेत्रों की ओर से जापानी सरकार पर दबाव को देखते हुए, टोकियो फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है। जापानी सूत्र यह भी संकेत देते हैं कि भारत द्वारा परमाणु दायित्व विधेयक को अंगीकार कर लेने के बाद जापानी परमाणु रिएक्टर निर्यातक कंपनियों के एक वर्ग की भारतीय परमाणु बाजार में रूचि कम हो गई है। उन्होंने इस विधेयक पर बेचैनी व्यक्त की है और उन्हें आशा है कि भारत दायित्व विधेयक पर फिर से विचार करेगा। भारत को इन मांगों को स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि दुर्घटना हो जाने पर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के मेजबान समुदायों के लिए (परमाणु) दायित्व विधेयक सर्वोत्तम बीमा है। भारत को भी परमाणु दुर्घटना के लिए अनुपूरक मुआवजे पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (सीएससी) में शामिल होने की टोकियो की इच्छा सहित जापान में हो रही कुछ आंतरिक गतिविधियों का संज्ञान लेना चाहिए। अनुपूरक मुआवजे पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (सीएससी) कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम तय करने की मांग करता है जिससे परमाणु दुर्घटना होने पर आसानी से मुआवजा दिया जा सकता है।

अनुपूरक मुआवजे पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (सीएससी) में यह भी उल्लेख है कि नुकसान का दायित्व संबंधित कंपनियों द्वारा वहन किया जाना चाहिए। हाल ही में, जापान ने अनुपूरक मुआवजे पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (सीएससी) के अनुसमर्थन की मांग की है और इसने *डायट* (जापानी संसद) में विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया है। यदि जापानी *डायट* इस विधेयक का अनुसमर्थन कर देता है और जापान इस अनुपूरक मुआवजे पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (सीएससी) का हस्ताक्षरकर्ता बन जाता है, तो परमाणु संयंत्रों में कार्यरत सभी घरेलू कंपनियां अनुपूरक मुआवजे पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (सीएससी) के दायरे में आ जाएंगी। (तब) भारत इन कंपनियों से इसी प्रकार की सुरक्षा, बचाव एवं दायित्व मानदंडों का अनुपालन भारतीय बाजारों के लिए भी करने के लिए कह सकता है।

जापान परमाणु करार में एक विशिष्ट निष्प्रभावकारी धारा क्यों चाहता है?

"परमाणु परीक्षण पर भारत के एकतरफा अधिस्थगन" से अनजान जापान के अधिकांश परमाणु विरोधी लोगों को शांत करने के लिए जापान करार/संधि में एक विशिष्ट धारा शामिल करने के लिए कहता रहा है। जापानी पक्ष चाहता है कि संभावित परमाणु समझौते के निष्प्रभावकारी धारा में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि "अगर नई दिल्ली कोई परमाणु परीक्षण करता है तो टोक्यो परमाणु ऊर्जा सहयोग रोक देगा।" वे अब तक संपन्न वार्ता के चार दौरों के दौरान इस मांग पर कायम रहे। यह आशा की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान की यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री आबे, जो परमाणु प्रौद्योगिकी सहित प्रौद्योगिकी की विदेशों में ब्रिकी को जापान के आर्थिक पुनरुत्थान के प्रमुख स्तंभों में से एक मानते

हैं, वे लंबित असैनिक परमाणु सहयोग करार को संपन्न कर ही लेंगे। लेकिन दोनों नेताओं के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य में महज यह उल्लेख है कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने "अपने अधिकारियों को बातचीत में और तेजी लाने के निदेश दिए ताकि इस करार को जल्दी संपन्न किया जा सके।" परमाणु सहयोग के बारे में इसी प्रकार की टिप्पणियां विगत कुछ वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह और उनके जापानी समकक्षों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य में दिए गए हैं। परमाणु सहयोग करार पर दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध से यह संकेत मिलता है कि उन्हें अपनी धारणाओं की खाई को पाटने के लिए अभी और कुछ करना होगा।

भारत के साथ परमाणु सहयोग संबंधी जापानी सोच पर करीबी निगाह डालने से पता चलता है कि जापान किसी दुविधा का सामना कर रहा है। वह यह तय नहीं कर पा रहा है कि आर्थिक लाभ और परमाणु अप्रसार संधि में शामिल सदस्यों/देशों के अलावा किसी अन्य देश को परमाणु प्रौद्योगिकी न बेचने के आदर्शवादी सिद्धांत में से किसे चुने। फुकुशिमा की घटना ने भी इस सौदे में बाधक के रूप में काम किया है। फुकुशिमा की घटना, जिसके कारण फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल के आस-पास रहने वालों को विस्थापित होना पड़ा, के बाद जापानी जनता का एक वर्ग मानता है कि परमाणु रिएक्टरों का निर्यात विदेशों में भी इसी प्रकार की आपदा ला सकता है; अत: वे परमाणु रिएक्टर का उपयोग व्यापार के साधन के रूप में किए जाने के सरकार के कदम का विरोध करते हैं।

परमाणु समझौते पर भिन्न धारणा के मतभेद कैसे दूर किए जाएं?

भारत-जापान असैनिक परमाणु समझौता सम्पन्न किया जाना इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश आम सहमति पर सामंजस्य कैसे बिठाते हैं। दोनों (देशों) को यह सौदा करने के लिए अपने रूख को उदार बनाने की जरूरत है। भावी भारत-जापान परमाणु सहयोग करार में निष्प्रभावकारी धारा शामिल किए जाने की जापान की मांग का उद्देश्य भारत को यह प्रौद्योगिकी देने से इनकार करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य परमाणु विरोधी तथा अत्यंत शांतिवादी (अपने) समाज में व्याप्त सार्वजनिक चिंताओं को दूर करना है। ऐसा नहीं लगता कि जापान इस विशिष्ट धारा का उपयोग परमाणु सौदे में विलम्ब करने के लिए कर रहा है। तथापि, जापानी राजनीतिक महारथियों को भी समझना चाहिए कि भारत सरकार भी एक ऐसी ही दुविधा का सामना कर रही है। यदि यह इस प्रकार के वाक्यांश के समावेश से सहमत होती है जिसकी जापान मांग कर रहा है, तो लोगों का एक बड़ा वर्ग भारत के दीर्घकालिक हित तथा कार्यनीतिक स्वायत्ता से "समझौता" कर लेने के लिए वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को दोषी ठहराएगा।

भारत द्वारा बार-बार दिए गए वक्तव्यों कि भारत परमाणु परीक्षण पर वर्ष 2008 में अंगीकार किए अधिस्थगन (को मानता) है और किसी निष्प्रभावकारी धारा का समावेश करना आवश्यक/अपेक्षित

नहीं है, से भी जापान के परमाणु विरोधी लोगों की चिन्ताओं को दूर करने में सहायता नहीं मिली है। आम जापानी लोगों को परमाणु परीक्षण पर भारत के एकपक्षीय अधिस्थगन के पाठ की जानकारी नहीं है। चूंकि भारत और जापान दोनों ही सरकारों ने असैनिक परमाणु सहयोग के लिए प्रतिबद्धता दिखलाई है, इसलिए उन्हें जापानी जनता के बीच इसके विषय-वस्तु को (प्रचारित करके) लोकप्रिय बनाने का सम्मिलित प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अनेकों बार संदर्भित अधिस्थगन के अनूदित विषय-वस्तु का विज्ञापन जापानी समाचारपत्रों में किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में स्थानीय जनता को अपना रुख बताने के लिए मीडिया का उपयोग करना आम प्रचलन है। विभिन्न सरकारों ने अपनी स्थिति साफ़ करने के लिए इन माध्यमों का उपयोग किया है। आशा करना चाहिए कि तत्कालीन विदेश मंत्री, श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा वर्ष 2008 में भारतीय संसद में दिए गए वक्तव्य के (उद्धृत) भाग का जापानी सोच पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जो इस प्रकार है:

"हम परमाणु परीक्षण पर एक स्वैच्छिक, एकतरफा अधिस्थगन के लिए सदा प्रतिबद्ध हैं। हम परमाणु हथियारों की दौड़ सहित हथियारों की किसी भी दौड़ में शामिल नहीं हैं। हमने अपनी कार्यनीतिक स्वायत्तता का उपयोग हमेशा ही वैश्विक जिम्मेदारी की भावना से किया है। हम परमाणु हथियारों का पहले-प्रयोग-नहीं की अपनी नीति की पुन:पुष्टि करते हैं।"

यदि जापान और भारत इस सौदे को अंतिम रूप देने हेतु साझा आधार तैयार करने में असफल रहते हैं और जापान इसके बाद भी प्रस्तावित परमाणु सौदे में विशिष्ट निष्प्रभावन धारा (शामिल करने) पर आमादा रहता है तो दोनों पक्षकारों को अन्तिम विकल्प के रूप में, उपरोक्त वक्तव्य का सार व्यक्त करते हुए इस समझौते में एक विशेष धारा (शामिल कर लेने) पर विचार करना चाहिए।

जैसा कि विभिन्न रिपोर्टों में सुझाव दिया गया है कि भारत की आर्थिक प्रगति सतत ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करेगी, भारत के कुल ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना महत्वपूर्ण हो जाता है, जो वर्तमान में दो प्रतिशत से भी कम है। भारत के ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए जापान का सहयोग आवश्यक है। अत:, दोनों सरकारों को चाहिए कि वे एक-दूसरे की चिन्ताओं/सरोकारों को स्थान दें/समायोजित करें और लम्बे समय से लम्बित परमाणु सौदे पर हस्ताक्षर करने का मार्ग प्रशस्त करें।

*डॉ. शमशाद ए. खान विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।

लेखक द्वारा व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत विचार हैं।